कार्यालय मुख्य वनसंरक्षक बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर (छ.ग.)

सिंधी कॉलोनी, जरहाभाठा, बिलासपुर (छ.ग.) पिन कोड–495001

फोन : 07752–227624, फैक्स : 07752–221385 E-mail : ccf.bilaspur-cg@gov.in

क्रमांक/तक./ 3503 बिलासपुर, दिनांक 27-12-2022

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक
(भू–प्रबंध)
नवा रायपुर, अटल नगर

विषयः – बिलासपुर जिले के मरवाही एवं बिलासपुर वन मंडल अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु Chief Engineer PWD NH Raipur, Chhattisgarh द्वारा Rehabilitation & Upgrading to 2/4 laning with paved shoulder Under corridor Scheme on EPC Basis of Keonch to Ratanpur Section on NH-45(Ex.) in the State of Chhattisgarh हेतु क्षेत्रफल 28.811 पंजीयन बाबत्।
Registration No.- FP/CG/ROAD/126719/2021

संदर्भः – आपका पत्र क्र./भू–प्रबंध/विविध/एल.एम.– 115–883/1953 दिनांक 12.08.2021
वनमण्डलाधिकारी बिलासपुर का पत्र क्र./1742, दिनांक 14.12.2022

–0–

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के दिशा निर्देशों तथा नवीन चेक लिस्ट अनुसार मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त, रायपुर द्वारा निर्धारित प्रपत्र–3 में अनुशंसा उपरांत वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव का परीक्षण उपरांत चेकलिस्ट बिन्दु क्रमांकवार विवरण निम्नानुसार है :–

बि.क्र. 1. आवेदक विभाग का मांग पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 1 .) – आवेदनकर्ता, कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, बिलासपुर द्वारा बिलासपुर वन मंडल अंतर्गत 18.245हे. मरवाही वन मंडल अंतर्गत 10.566 हे. वन भूमि केवची–केन्दा–मझवानी–रतनपुर रोड निर्माण के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग कॉरीडोर योजना के अंतर्गत वन भूमि व्यपवर्तन हेतु कुल 28.811 हे. संरक्षित एवं राजस्व वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत आवेदन निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया है।

वन मंडलवार वन भूमि का विवरण निम्नानुसार है:–

क्र.	वन मंडल	संरक्षित वन (हे.)	राजस्व वन (हे.)	योग
1	बिलासपुर	12.366	5.879	18.245
2	मरवाही	9.402	1.164	10.566
योग		**21.768**	**7.043**	**28.811**

बि.क्र. 2. प्रपत्र I में रजिस्ट्रेशन कोड (वर्ष/पंजीयन क्रमांक) (प्रस्ताव पृष्ठ 04 से33) – वन मंडलाधिकारी बिलासपुर द्वारा रजिस्ट्रेशन क्रमांक – FP/CG/ROAD/126719/2021 आबंटित होने का उल्लेख किया गया है, पंजीयन शुल्क 6000 एवं प्रसंस्करण शुल्क 29,000 रूपये जमा कराया गया है।

बि.क्र. 3. वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 34. से 48) – बिलासपुर वन मंडल अंतर्गत 18.245 हे. मरवाही वन मंडल अंतर्गत 10.566 हे. वन भूमि केवची–केन्दा–मझवानी–रतनपुर रोड निर्माण के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग कॉरीडोर योजना के अंतर्गत वन भूमि व्यपवर्तन हेतु कुल 28.811 हे. संरक्षित एवं राजस्व वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत आवेदन निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया है।

बि.क्र. 4. गैर वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 49 से 82) – केवची–केन्दा–मझवानी–रतनपुर रोड निर्माण के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग कॉरीडोर निर्माण हेतु वन मंडलवार निम्नानुसार गैर वन भूमि प्रभावित हो रही है:–

क्र.	वन मंडल	गैर वन भूमि का विवरण (हे. में)
1	बिलासपुर	39.694
2	मरवाही	47.061
	योग	**86.755**

बि.क्र. 5. प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1:50000 स्केल पर (प्रस्ताव पृष्ठ 83से 91) – प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मानचित्र संलग्न है।

बि.क्र. 6. वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप (प्रस्ताव पृष्ठ 92से 99) – वन क्षेत्र का इंडेक्स मैप संलग्न है।

बि.क्र. 7. प्रपत्र – 4 में प्रस्ताव (प्रस्ताव पृष्ठ 100 से 105) – प्रपत्र – 4 में व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित बिलासपुर वन मंडल अंतर्गत 18.245 हे. मरवाही वन मंडल अंतर्गत 10.566 हे. वन भूमि केवची–केन्दा–मझवानी–रतनपुर रोड निर्माण के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग कॉरीडोर योजना के अंतर्गत वन भूमि व्यपवर्तन हेतु कुल 28.811हे. मार्ग निर्माण के लिए परियोजना की प्रशासकीय लागत 511 करोड़ बतायी गई है।

बि.क्र. 8. प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप (प्रस्ताव पृष्ठ .106से 113) – बिलासपुर वन मंडल अंतर्गत 18.245 हे. मरवाही वन मंडल अंतर्गत 10.566 हे. वन भूमि केवची–केन्दा–मझवानी–रतनपुर रोड निर्माण के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग कॉरीडोर योजना के अंतर्गत वन भूमि व्यपवर्तन हेतु कुल 28.811हे. वन भूमि के लिए प्रस्ताव का विस्तृत टीप संलग्न है।

बि.क्र. 9. वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि जमा करने का वचन पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 114 से 115) – यूजर एजेंसी का वचन पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 10. न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 116 से 117) – प्रस्तावित वन क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है। यूजर एजेंसी का वचन पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 11. पर्यावरण संरक्षण स्वीकृत प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 118 से 127.) – भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 22.08.2013 की प्रति संलग्न है।

बि.क्र. 12. वृक्ष विदोहन विवरण (प्रपत्र – अ एवं ब में) (प्रस्ताव पृष्ठ .128 से 181) – आवेदित क्षेत्र में विदोहित होने वाले वृक्षों की संख्या वन मंडलवार निम्नानुसार है:–

क्र.	वन मंडल का नाम	साईट क्वालिटी	विदोहित होने वाले वृक्षों की संख्या
1	बिलासपुर	IVA	1948
2	मरवाही	IVA	2679
	योग		**4627**

बि.क्र. 13. कास्ट/बेनिफिट एनालिसिस (प्रस्ताव पृष्ठ 182से 191) – परियोजना का कास्ट बेनीफिट एनालिसिस संलग्न है।

बि.क्र. 14. – चयनित गैर वन क्षेत्र/निजी भूमि (पंचशाला खसरा की नकल, मानचित्र, सक्षम अधिकारी का हस्तांतरण आदेश) – राजस्व वन क्षेत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 192 से 193) – प्रस्ताव में वैकल्पिक वृक्षारोपण परियोजना हेतु दुगने वनभूमि प्रस्तावित है। प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 15. गैर वन क्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शा (प्रस्ताव पृष्ठ 194 से 243) – प्रस्तावित परियोजना हेतु वैकल्पिक वृक्षारोपण प्रस्तावित नहीं होने के कारण आवश्यक नहीं। प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 16. स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना (प्रस्ताव पृष्ठ 244 से 274 तक) – आवेदित वन भूमि बिलासपुर वन मंडल अंतर्गत 18.245 हे. मरवाही वन मंडल अंतर्गत 10.566 हे. वन भूमि केवची–केन्दा–मझवानी–रतनपुर रोड निर्माण के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग कॉरीडोर योजना के अंतर्गत वन भूमि व्यपवर्तन हेतु कुल 28.811हे. के एवज में दुगुने बिगड़े वन भूमि मरवाही वन मंडल में 61.414 हे. में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के लिये प्रस्तावित है। 10 वर्षीय सिंचित परियोजना प्रतिवेदन 8,78,878/– प्रति हे. की दर से तैयार किया गया है। वनखण्डवार, कक्षवार एवं रकबावार जानकारी प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 17. वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ .275 से 278) – वैकल्पिक वृक्षारोपण वन मंडलाधिकारी, मरवाही वन मंडल का उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 18. अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यो का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 279 से 280) – वन मंडलाधिकारी बिलाससपुर एवं मरवाही वन मंडल के प्रतिवेदन अनुसार वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया गया है।

बि.क्र. 19. अधिनियम उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ ... 281से 282 .) – बिन्दु क्रमांक 18 के आलोक में निरंक है।

बि.क्र. 20. अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध प्रस्तावित कार्यवाही (प्रस्ताव पृष्ठ 283 से 284) – बिन्दु क्रमांक 18 के आलोक में निरंक है।

बि.क्र. 21. वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 285 से 286.) – वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु दुगुने वन भूमि प्रस्तावित होने के कारण गैर वन भूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। वन मंडलाधिकारी एवं आवेदक संस्थान का संयुक्त प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 22. कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 287 से 288) – प्रस्ताव राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण से संबंधित होने के कारण लागू नहीं। प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 23. रिक्लेमेशन प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 289 से 290) – प्रस्ताव खनन से संबंधित न होने के कारण रिक्लेमेशन प्लान की आवश्यकता नहीं है। प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 24. माईनिंग प्लान IBM नागपुर द्वारा अनुमोदित (केवल खनन प्रकरण में) (प्रस्ताव पृष्ठ 291 से 292) – प्रस्ताव खनन से संबंधित न होने के कारण माईनिंग प्लान की आवश्यकता नहीं है। प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 25. व्यवस्थापन प्लान (प्रस्ताव पृष्ठ 293 से 294) – प्रस्ताव में किसी को उक्त क्षेत्र में से हटाया नहीं गया है। अतः व्यवस्थापन प्लान की आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 26. वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र I से IV तक) (प्रस्ताव पृष्ठ 295 से 318) – भाग–2 पर वन मंडलाधिकारी, बिलासपुर वन मंडल द्वारा दिनांक 07.02.2022 को, मरवाही वन मंडल द्वारा दिनांक 13. 11.2022 को प्रस्ताव की स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। वन मंडलाधिकारी बिलासपुर एवं मरवाही के अनुशंसा के आधार पर मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त द्वारा दिनांक .... को प्रस्ताव पर अनुशंसा की गई है।

बि.क्र. 27. ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 319 से 339) – व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व का स्थल नहीं है जिससे संबंधित वन मंडलाधिकारी एवं यूजर एजेंसी का संयुक्त प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 28. संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 340 से 349) — ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 29. जिले की कुल वन भूमि (रकबा हे. में) (प्रस्ताव पृष्ठ 350 से 351) — जिलेवार जानकारी निम्नानुसार है:—

क्र.	जिले का नाम	जिले की कुल वन भूमि (रकबा हे. में)
1	बिलासपुर	78336.000
2	गौरेला—पेण्ड्रा—मरवाही	230739.000
योग		**309075.000**

बि.क्र. 30. व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों मे प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे. में (प्रस्ताव पृष्ठ 352 से 353) — जिले के स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित वन भूमि का जिलेवार रकबा निम्नानुसार है:—

क्र.	जिले का नाम	स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित वन भूमि का रकबा (रकबा हे. में)
1	बिलासपुर	723.378
2	गौरेला—पेण्ड्रा—मरवाही	865.417
योग		**1588.795**

बि.क्र. 31. व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों मे इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा हे. में (प्रस्ताव पृष्ठ 354 से 355) — जिले के स्वीकृत प्रकरणों मे इसी श्रेणी की कुल व्यपवर्तित वन भूमि का जिलेवार रकबा निम्नानुसार है:—

क्र.	जिले का नाम	कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा (रकबा हे. में)
1	बिलासपुर	50.439
2	गौरेला—पेण्ड्रा—मरवाही	369.285
योग		**419.724**

बि.क्र. 32. प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह / मूर्ति न होने की जानकारी (प्रस्ताव पृष्ठ 356 से 357) — बिलासपुर वन मंडल एवं मरवाही अंतर्गत प्रस्तावित 10 कि.मी. के परिधि में नहीं है ।

बि.क्र. 33. 15 कि.मी. परिधि के नक्शे में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों का चिन्हांकन (प्रस्ताव पृष्ठ 358 से 359) — खनन प्रकरण नहीं है। अतः आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 34. वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 360 से 366) — वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण का कलेक्टर बिलासपुर एवं गौरेला—पेण्ड्रा—मरवाही का अनापत्ति प्रमाण पत्र अप्राप्त है जिसे प्रथम चरण स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्रेषित करते समय उपलब्ध करा दी जायेगी। द्वितीय चरण स्वीकृति के पूर्व जमा किया जावेगा।

बि.क्र. 35. राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 3667 से 373) — प्रस्ताव में राजस्व वन भूमि संबंधित कलेक्टर बिलासपुर का दिनांक 01.01.2021, एवं गौरेला—पेण्ड्रा—मरवाही का दिनांक 28.02.2022 द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 36. माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 374 से 377) — यूजर एजेंसी द्वारा दिया गया वचन पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 37. **Clearance under FC Act, 1980: Deposition of funds with the Ad-hoc CAMPA: Remittances to precede 2nd stage clearance (प्रस्ताव पृष्ठ 378 से 379)** – यूजर एजेंसी द्वारा दिया गया वचन पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।

बि.क्र. 38. **A detailed note on Soil Productivity or the lack of it (प्रस्ताव पृष्ठ 380 से 381)** – प्रस्तावित स्थल कृषि भूमि योग्य है तथा मृदा, वृक्षों / वनस्पत्तियों के लिए सामान्य एवं उपयुक्त है। वन मंडलाधिकारी एवं आवेदक संस्थान का प्रतिवेदन संलग्न है।

बि.क्र. 39. **परियोजना की किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र (प्रस्ताव पृष्ठ 382 से 383** – वन भूमि में किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया गया है ऐसा प्रमाण पत्र यूजर एजेंसी एवं वन मंडलाधिकारी धमतरी, केशकाल एवं कांकेर वन मंडल के द्वारा दिया गया है।

बि.क्र. 40. **Diversion of large area (more then 500 ha.) of forest land for mining and other non-forestry purposes under the Forest (Conservation) Act 1980 (प्रस्ताव पृष्ठ 384 से 387)** – केवल 500 हे. से अधिक के प्रकरण में लागू है। अतः आवश्यकता नहीं है।

बि.क्र. 41. **पंजीयन क्रमांक – पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 388 से 391)** – बिन्दु क्रमांक –2 पर विस्तृत विवरण दिया गया है।

बि.क्र. 42. **वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत (प्रस्ताव पृष्ठ 392 से 393)** – आवेदक विभाग द्वारा एवीफौना योजना प्रस्तुत नही किया गया है।

बि.क्र. 43. **विद्युत लाईन से संबंधित प्रकरणों में एक स्थल से दूसरे स्थल तक टावर ले जाने का मानचित्र तथा तीन विकल्प में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 394 से 395)** – प्रकरण विद्युत पारेषण लाईन से संबंधित नहीं होने के कारण लागू नहीं होगा। तदाशय का संबंधित वन मंडलाधिकारियों का वचन पत्र संलग्न है।

बि.क्र. 44. **प्रस्ताव मे अन्य (Misc) कमियों का विवरण (प्रस्ताव पृष्ठ 396 से 397)** – तीन वैकल्पिक रूट एवं उसके औचित्य को दर्शाते हुए मानचित्र संलग्न है।

प्रकरण भारत शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है तथा समस्त प्रचलित संबद्ध नियमो/दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के वेब साईट में www.parivesh.nic.in पर अपलोड किया गया है।

वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रथम चरण की स्वीकृति के लिये प्रस्ताव 3 प्रतियों में संलग्न प्रेषित है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

मुख्य वनसंरक्षक
बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर

पृ. क्र0/ तक./ 3504 बिलासपुर/ दिनांक 27/12/2022

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1. वनमण्डलाधिकारी, बिलासपुर वनमण्डल, बिलासपुर।
2. वनमण्डलाधिकारी, मरवाही वनमण्डल, मरवाही।
3. कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग बिलासपुर।

मुख्य वनसंरक्षक
बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर

मुख्य वनसंरक्षक अधिनियम, 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव

(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग–3

(संबंधित वनसंरक्षक द्वारा भरा जाना है)

---

14. स्थल जहां की वन भूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित मुख्य वनसंरक्षक ने निरीक्षण किया है। (हॉ/नही) यदि हॉ तो निरीक्षण की तारीख और किए गए प्रक्षेणों को निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।

आवेदनकर्ता, कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, बिलासपुर द्वारा बिलासपुर वन मंडल अंतर्गत 18.245हे. मरवाही वन मंडल अंतर्गत 10.566 हे. वन भूमि केवची–केन्दा–मझवानी–रतनपुर रोड निर्माण के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग कॉरीडोर योजना के अंतर्गत वन भूमि व्यपवर्तन हेतु कुल 28.811 हे. संरक्षित एवं राजस्व वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 आवेदित वनभूमि का स्थल निरीक्षण नहीं किया गया है।

15. क्या संबंधित मुख्य वनसंरक्षक भाग (ख) में दी गई सूचना और उप वनसंरक्षक के सुझावों से सहमत है।

हाँ

16. प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित मुख्य वनसंरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।

आवेदनकर्ता, कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, बिलासपुर द्वारा बिलासपुर वन मंडल अंतर्गत 18.245हे. मरवाही वन मंडल अंतर्गत 10.566 हे. वन भूमि केवची–केन्दा–मझवानी–रतनपुर रोड निर्माण के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग कॉरीडोर योजना के अंतर्गत वन भूमि व्यपवर्तन हेतु कुल 28.811 हे. प्रभावित वनभूमि में सेड्यूल–1 के वन्यप्राणीयों का आवागमन होता है इसलिए वन्यप्राणियों के आवागमन हेतु आवश्यकता अनुसार अण्डरपास एवं ओव्हरपास तथा वनक्षेत्र में विभिन्न प्रजाति के पक्षीयों की उपस्थिति है। अतः वन्यप्राणी योजना एवं वनक्षेत्रों में पाये जाने वाले पक्षीयों के संर्वधन हेतु विस्तृत पक्षी संवर्धन योजना आवेदक संस्थान के व्यय से प्रस्तावित करते हुए वनभूमि प्रत्यावर्तन की अनुशांसा की जाती है।

अनुशंसित

दिनांक 27.12.2022

(राजेश कुमार चंदेले) भा.व.से.
मुख्य वन संरक्षक
बिलासपुर वृत्त बिलासपुर